

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा संख्या 266 (सामान्य वाद विवाद घोषणा संख्या 40) एवं वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 120 की अनुपालना में प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए लव कुश वाटिका विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश कमांक 8908 दिनांक 04.10.2023 द्वारा आवंटित बजट में मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के पत्रांक 5643 दिनांक 22.11.2023 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है:-

(राशि रू. लाखों में)

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व में आवंटित बजट			संशोधित आवंटित बजट		
			बजट घोषणा संख्या 266 (वर्ष 2022-23) हेतु	बजट घोषणा संख्या 120 (वर्ष 2023-24) हेतु	योग	बजट घोषणा संख्या 266 (वर्ष 2022-23) हेतु	बजट घोषणा संख्या 120 (वर्ष 2023-24) हेतु	योग
4406-02-789 -04-01-16 लघु निर्माण कार्य	जयपुर	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	79.00	40.00	119.00	59.00	60.00	119.00

- उक्त आवंटित बजट का उपयोग करते समय इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश कमांक 553-23 दिनांक 01.05.2023 से जारी दिशा - निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
- उक्त आवंटित राशि का सम्पूर्ण उपयोग 10 दिसम्बर, 2023 तक सुनिश्चित किया जावे।
- बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करें।

(पी.के.उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 29/11/2023

कमांक एफ 21 (7) 2022-23 / विकास / प्रमुवस / 10274-80
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / सीकर ।
- वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
- उप वन संरक्षक, झुन्झुनू ।
- प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु) / रक्षी पत्रावली ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर